भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †3836

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पश्चिम बंगाल में प्रसाद योजना

†3836. श्री राजू बिष्ट:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में प्रसाद (तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान) योजना के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत, वितरित और उपयोग की गई धनराशि का स्थल-वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत तीर्थ पर्यटन के विकास में सततता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत विकसित स्थलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रसाद योजना के अंतर्गत तीर्थ स्थलों की कनेक्टिविटी और पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रसाद योजना का दायरा बढ़ाकर इसके अंतर्गत और अधिक तीर्थ स्थलों को शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय "तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान" (प्रशाद) के तहत चिह्नित तीर्थस्थल गंतव्यों पर पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय के पास पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में प्रशाद योजना के तहत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय ने प्रशाद योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 30.03 करोड़ रुपये की लागत से “बेलूर मठ का विकास” नामक परियोजना को मंजूरी दी है।

(ख): प्रशाद योजना के तहत चिह्नित तीर्थस्थल गंतव्यों पर समावेशी, एकीकृत और स्थायी तरीके से अवसंरचना का विकास किया जाता है, जो आजीविका, कौशल, स्वच्छता, सुरक्षा, पहुंच और सेवा आपूर्ति पर केंद्रित होता है।

पर्यटन मंत्रालय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देने, निर्माण के लिए स्थानीय रूप में उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करने और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनों की खरीद का सुझाव देता है। इसके अलावा, स्थायी प्रचालन एवं रखरखाव वाली योजनाओं को शामिल करने पर भी बल दिया जाता है।

(ग): पर्यटन मंत्रालय अपने जारी प्रयास के भाग के रूप में संवर्धनात्मक कार्यकलापों, कार्यक्रमों, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रचार, मेलों और महोत्सवों आदि के माध्यम से प्रशाद योजना के तहत विकसित स्थलों सहित देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करता है।

(घ): पर्यटन मंत्रालय ने अपनी प्रशाद योजना के तहत तीर्थ गंतव्यों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए रैम्प, रेलिंग, समर्पित व्हीलचेयर-सुलभ सुविधाएं, ई-वाहन और लिफ्ट आदि के प्रावधान सहित सार्वजनिक पहुंच संबंधी सुविधाओं के लिए मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, गंतव्य तक कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए, पहुंच मार्ग का विकास, सड़क विस्तार और सौंदर्यीकरण, गंतव्य प्रवेश बिंदुओं अर्थात यात्री टर्मिनलों का विकास सहित कई घटकों को मंजूरी दी गई है।

(ङ): प्रशाद योजना के तहत पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और निर्धारित शर्तों की पूर्ति एवं निधि की उपलब्धता के अध्यधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****